संख्या– 539 /VI/2006/12(8)2004

प्रेषक,

एन0 रामचन्द्रन,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

2. आयुक्त,
गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।

3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

पर्यटन अनुभाग– देहरादून : दिनांक : 11 मई, 2006

विषय :– पर्यटन व्यवसाय में निवेशकों, उद्यमियों के लिए "एकल खिड़की सम्पर्क व समयबद्ध सूचना एवं सुगमता" व्यवस्था के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन एवं सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन व्यवसाय का महत्वपूर्ण योगदान है एवं इसे राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र का उद्योग माना गया है। पर्यटन व्यवसाय में मुख्य भागीदारी निजी क्षेत्र की है। इस दृष्टि से पर्यटन नीति में निजी निवेश आकर्षित किये जाने को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पर्यटन के क्षेत्र में राज्य गठन के उपरान्त महत्वपूर्ण निवेश हुआ है एवं इसे और अधिक आकर्षित किये जाने की आवश्यकता है, जिससे राज्य में छोटी–बड़ी अवस्थापना सुविधाओं को निजी निवेश से विकसित किया जा सके एवं इनका उच्च व्यवसायिक संचालन सुनिश्चित हो सके। इस दृष्टि से राज्य में पर्यटन व्यवसाय में लगे उद्यमियों तथा आने वाले निवेशकों को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से वांछित सहायता त्वरित एवं सुगमता से दिये जाने की आवश्यकता है।

2. पर्यटन विकास हेतु निजी पूंजी निवेश में तीव्र गति लाने के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने तथा उद्यमियों के बहुमूल्य समय का सदुपयोग उत्पादन वृद्धि/व्यवसाय वृद्धि हेतु केन्द्रित किये जाने के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश में पर्यटन नीति की भावना के अनुरूप "एकल खिड़की सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता" व्यवस्था की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य पर्यटन व्यवसाय हेतु विभिन्न विभागों से वांछित अनुमोदनों, स्वीकृतियों, अनापत्तियों एवं अनुज्ञा–पत्रों इत्यादि के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना एवं आवेदन–पत्र तथा इनका निस्तारण एक ही स्थान पर केन्द्रीय तथा समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करना है, ताकि निवेशकों हेतु मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार किया जा सके तथा वांछित स्वीकृतियां समयबद्ध रूप से जारी की जा सकें।

3. औद्योगिक इकाईयों में निवेश की प्रक्रिया को सुगम बनाये जाने एवं निवेशकों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से उद्योग विभाग द्वारा पूर्व में "एकल खिड़की सम्पर्क सूचना एवं सुगमता व्यवस्था" शासनादेश संख्या 353/औ0वि0–1/उद्योग/2004–05 दिनांक 28 अगस्त, 2004 के द्वारा लागू की गयी है। इसी व्यवस्था के अनुरूप पर्यटन में निवेश को और आकर्षित करने की दृष्टि से समरूप व्यवस्था स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। औद्योगिक इकाईयों में पर्यावरण, प्रदूषण व अन्य कठिनाईयों के कारण पर्यटन इकाईयों से अधिक विभागों/संस्थाओं से अनापत्ति/स्वीकृति आदि की आवश्यकता होती है। पर्यटन इकाईयों के लिए जिन विभागों/इकाईयों से स्वीकृति/अनापत्ति आदि की आवश्यकता होती है उनके लिए सम्बन्धित विभागों से सहमति के उपरान्त **परिशिष्ट– 1** के अनुसार समय सीमा निर्धारित की जा रही है। इनमें से अधिकांश विभाग/संस्थाओं की समय सीमा वही रखी गयी है जो उद्योग विभाग द्वारा पूर्व से ही लागू है।

4. "एकल खिड़की सम्पर्क व समयबद्ध सूचना एवं सुगमता" व्यवस्था के प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व जिला स्तर पर जनपद के जिलाधिकारी का होगा। सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी निवेशकों से प्राप्त होने वाली सूचनाओं, पूरकमों आवेदन पत्रों एवं समस्याओं को सुनने के लिए प्रोएक्टिव होकर कार्य करेंगें। राज्य स्तर पर यह कार्य उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद का होगा।

5. "एकल खिड़की सम्पर्क व समयबद्ध सूचना एवं सुगमता" व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

(1.) पर्यटन इकाई/व्यवसाय स्थापित करने हेतु निवेशक/आवेदक द्वारा प्रदेश के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से वांछित अनुमोदनों/अनापत्तियों/अनुज्ञा इत्यादि प्राप्त करने होते हैं, जिसमें से कुछ इकाई की स्थापना के पूर्व तथा कुछ इकाई की स्थापना के उपरान्त प्राप्त करने होते हैं। इनका विवरण संलग्न तालिका (परिशिष्ट–1) में इंगित किया गया है।

(2.) इकाई स्थापना से पूर्व तथा इकाई स्थापना के पश्चात वांछित अनुमोदनों, अनापत्तियों तथा अनुज्ञा इत्यादि के लिए सम्बन्धित विभागों के निर्धारित आवेदन प्रपत्रों तथा अनुदेशों को संकलित रूप से जिलाधिकारियों व जिला पर्यटन विकास अधिकारियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद द्वारा की जायेगी जिसे एक पुस्तिका के रूप में तैयार किया जाएगा तथा इण्टरनेट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

(3.) सभी विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगें कि उक्त व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन हेतु संबंधित अनापत्ति स्वीकृति/अनुज्ञा जारी करने के लिये 15 दिन में मण्डल एवं जनपद स्तर पर तथा जहां क्षेत्रीय अधिकारी हों, उनके स्तर पर अपने विभाग से सम्बन्धित नोडल अधिकारी का नाम व पता दूरभाष संख्या, फैक्स आदि का विवरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद, प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तरांचल शासन को उपलब्ध करा देंगें।

4.(क) उद्यमी उक्त समस्त विभागों के आवेदन प्रपत्र, जो आवश्यक हो, पूर्ण रूपेण भरकर, अनुलग्नकों के साथ वांछित प्रक्रियानुसार शुल्क भुगतान करते हुए सम्बन्धित जनपद के पर्यटन कार्यालय में प्रत्येक कार्य–दिवस में जमा कर सकेंगें। जिला पर्यटन कार्यालय पर्यटन इकाईयों की स्वीकृतियों/अनापत्तियों के लिए एकल खिड़की का काम करेंगें। जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसी समय या तत्काल यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवेदन पत्र पूर्ण रूपेण भरा हुआ है तथा चैक लिस्ट के अनुसार प्रपत्र संलग्न है। प्राप्त आवेदन पत्रों को सम्बन्धित विभागों/प्राधिकरणों/निगमों/संस्थाओं को तत्काल प्रेषित कर उनसे पावती प्राप्त कर लेंगें। सम्बन्धित विभाग प्राप्त आवेदन पत्रों पर विश्लेषण करके यह चैक करेंगें कि उक्त आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित संलग्नकों एवं शुल्क के साथ प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं। यदि आवेदन पत्र में कोई कमी है, तो सम्बन्धित विभाग उसको लिखित रूप से निवेशक/उद्यमी तथा जिला पर्यटन विकास अधिकारी को 3 दीन के भीतर सूचित करेंगें। कमियों/आपत्तियों का निराकरण इकाई द्वारा कर दिये जाने के उपरान्त आवेदन पत्र की पूर्णता के सम्बन्ध में किसी भी अन्य प्रपत्र/सूचना आदि की मांग सम्बन्धित विभाग द्वारा नहीं की जा सकेगी। निवेशक को उसके आवेदन पत्रों पर निर्णय सूचित करने हेतु निर्धारित समय सारणी में उल्लिखित अधिकतम समय सीमा के दृष्टिगत रखते हुए एक तिथि (यथासम्भव निर्धारित शुक्रवार को) सूचित कर दी जाएगी, जिस दिन वह जिला पर्यटन कार्यालय में आकर निर्णय की लिखित सूचना प्राप्त कर सकेगा।

4.(ख) उद्यमियों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे कतिपय स्वीकृतियों/अनापत्तियों इत्यादि के लिए सीधे सम्बन्धित विभागों को आवेदन कर सकते है। लेकिन आवेदनों का समय सीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए उद्यमी सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी को आवेदन पावती का विवरण/प्रमाण उपलब्ध करायेंगें तथा उसके आधार पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी अग्रेत्तर अनुसरण सम्बन्धित विभाग से निश्चित करेंगें।

(5.) निवेशकों/उद्यमियों से प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण के लिए सम्बन्धित विभाग अपने विभाग के ऐसे स्तर के अधिकारी को, जिन्हें विभाग से सम्बन्धित नियमों, प्रक्रियाओं एवं औपचारिकताओं आदि की समुचित जानकारी हो, को आवेदन पत्रों पर कार्यवाही के लिए नामित कर उसकी सूचना जिलाधिकारी या जिला पर्यटन विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे ताकि मामले के निस्तारण के सम्बन्ध में सूचना एवं प्रगति की जानकारी के आदान–प्रदान में सुगमता व सीधा संवाद सम्बन्धित अधिकारी से रहे।

(6). प्रत्येक विभाग आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में निस्तारण हेतु निर्धारित समय सारणी (परिशिष्ट–1) के अन्तर्गत ही जिलाधिकारी/जिला पर्यटन विकास अधिकारी तथा सम्बन्धी आवेदक को अपने निर्णय की लिखित सूचना उपलब्ध करा देंगे। समय सीमा की गणना पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने तथा तदनुसार पावती जारी होने के दिनांक से की जाएगी।

(7.) यदि इस प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र की प्राप्ति के उपरान्त किसी विभाग से निर्धारित समय सारणी के अन्तर्गत उस विभाग का निर्णय जिलाधिकारी/जिला पर्यटन विकास अधिकारी को प्राप्त नहीं होता है तो जिलाधिकारी पुनः उक्त विभाग को अन्तिम अवसर देते हुए एक नोटिस भेजेंगे। यदि नोटिस भेजने के 10 दिन के भीतर सम्बन्धित विभाग द्वारा आवेदन पत्र पर निर्णय नहीं लिया जाता है उस स्थिति में जिलाधिकारी उक्त आवेदन पत्र पर स्वतः स्वीकृत (डीम्ड एप्रूवल) लिखकर हस्ताक्षर करके उद्यमी को निर्गत करेंगे तथा इस प्रकार से उद्यमी को स्वीकृति प्रदत्त मानी जाएगी। जिलाधिकारी प्रत्येक 'स्वतः स्वीकृत' के केस को सम्बन्धित विभाग से समय सारणी के अन्तर्गत निर्णय प्राप्त न होने के कारणों की जांच कर जिम्मेदारी निश्चित करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही हेतु संस्तुति सक्षम विभागीय अधिकारी को प्रेषित कर दी जाएगी तथा इसकी सूचना उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् को दी जाएगी।

6. "एकल खिड़की सम्पर्क, समयबद्ध सूचना एवं सुगमता" व्यवस्था के क्रियान्वयन का अनुश्रवण प्रत्येक माह जिला स्तर पर "जनपद स्तरीय पर्यटन मित्र" द्वारा तथा राज्य स्तर पर उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् के अन्तर्गत Facilitation cell द्वारा किया जाएगा तथा मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व जिला पर्यटन विकास अधिकारी का होगा।

7. जनपद स्तर पर उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण, उनके तथा सतत संवाद एवं परामर्श, नई पर्यटन इकाइयों एवं उद्यमियों के प्रस्तावों पर दिशा निर्देश जिला स्तर पर जनपद स्तरीय पर्यटन मित्र द्वारा निर्गत किये जायेंगे। जिन समस्याओं का निराकरण राज्य स्तर पर किया जाना है, के निराकरण, उद्यमियों से सतत संवाद एवं परामर्श, पर्यटन व्यवसाय से सम्बन्धित प्रस्तावों पर विचार एवं निर्णय का दायित्व राज्य स्तर पर उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद/पर्यटन विभाग का होगा।

8. सभी सम्बन्धित विभागों/विभागाध्यक्षों से इस व्यवस्था के सुचारु क्रियान्वयन हेतु व्यक्तिगत ध्यान दिये जाने की अपेक्षा है। यह भी अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त प्रस्तर 5(2) के विवरण समस्त प्रारूपों सहित एवं प्रस्तर 5(3) के अनुरूप नोडल अधिकारियों के नामांकन कर सूचना एक माह में पर्यटन विभाग/उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद को उपलब्ध करा देंगे। प्रस्तर 5(2) के अनुरूप पुस्तिका/विवरणिका का प्रकाशन उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद द्वारा दो माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। इसका वितरण सभी प्रमुख पर्यटन संगठनों, होटल संगठनों व ट्रैवल ट्रेड संघों को किया जाएगा। निवेशकों को भी यह पुस्तिका सुगमता से उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

9. "एकल खिड़की सम्पर्क व समयबद्ध सूचना एवं सुगमता" व्यवस्था तत्काल प्रभावी हो जाएगी तथा इसका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व समस्त विभागाध्यक्षों का होगा।

कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक :– परिशिष्ट– 1

भवदीय,

(एम0 रामचन्द्रन)
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– /VI/2006–12(8)2004 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् देहरादून।
2. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, उत्तरांचल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे उत्तरांचल वेबसाइट में प्रसारित करने का कष्ट करें।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, समस्त विकास प्राधिकरण तथा निगम एवं स्वायत्तशासी संस्थायें, उत्तरांचल।
5. समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
6. समस्त ट्रैवल ट्रेड एवं पर्यटन संगठन उत्तरांचल, (उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद के माध्यम से)।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,

शासनादेश संख्या 539 /VI/2006 दिनांक 11 मई, 2006 का संलग्नक

परिशिष्ट-1

पर्यटन सम्बन्धी परियोजनाओं हेतु स्वीकृतियों/अनापत्तियों/लाइसेंस इत्यादि निर्गत करने के लिए अधिकतम समय सीमा का विवरण

क्र0 सं0	अनापत्ति / क्रियान्वयन	सम्बन्धित विभाग	अधिकतम समय सीमा
1.	भू- उपयोग सत्यापन भू- उपयोग परिवर्तन (यदि आवश्यक)	सम्बन्धित विकास प्राधिकरण सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/आवास विभाग	[illegible] दिन 3 माह
2.	भवन के मानचित्र का अनुमोदन	सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र	1 माह
3.	प्रदूषण एवं पर्यावरण सम्बन्धी अनापत्ति	पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	1 माह
4.	विद्युत संयोजन (अस्थायी/स्थायी) कार्य प्रारम्भ करने हेतु विद्युत आपूर्ति कार्य पूर्ण होने पर स्थायी विद्युत कनेक्शन	विद्युत वितरण खण्ड	15 दिन 1 माह
5.	राजस्व विभाग	धारा 143 के अन्तर्गत गैर कृषि घोषित करना, भूमि क्रय की अनुमति प्रदान करना	1 माह परन्तु स्वतः स्वीकृति का नियम लागू नहीं होगा
6.	अग्नि शमन से सम्बन्धित	अग्नि शमन विभाग	1 माह
8.	सराय एक्ट	कार्यालय जिलाधिकारी	3 सप्ताह
9.	श्रम विभाग से सम्बन्धित विभिन्न नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण	श्रम विभाग	1 माह
10.	व्यापार कर में पंजीकरण अस्थायी स्थायी	व्यापार कर विभाग	3 दिन 1 माह
11.	जल संयोजन (शहरी क्षेत्र में)	जल संस्थान	15 दिन
12.	फूड/लॉजिंग व अन्य नगर निगम/परिषद से सम्बन्धित लाईसेन्स भूमि अनापत्ति पी0एफ0 एक्ट के अंतर्गत खाद्य लाईसेन्स नवीनीकरण लॉजिंग लाईसेन्स	नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत	1 सप्ताह 15 दिन 10 दिन 7 दिन 15 दिन
13.	बार/बीयर बार लाईसेन्स	आबकारी विभाग	3 माह
14.	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (औद्योगिक विकास विभाग)	मृदा परीक्षण एवं अनापत्ति	1 माह